राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं. एफ. 2(1)डीओपी/ए–II/82 पार्ट II   जयपुर, दिनांकः 5.5.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची–I का संशोधन.**– राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 से संलग्न अनुसूची–I में, शीर्ष **ग्रुप 'क' (चिकित्सा क्षेत्र) (पृथक् महिला और पुरूष संवर्ग)** के अधीन,–

(i) क्रम संख्यांक 4 के विद्यमान भाग (ख) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"

	(ख) अधीक्षक भेषजज्ञ	–	100%	–	भेषजज्ञ ग्रेड–I	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्षों का अनुभव	–
	(ग) भेषजज्ञ ग्रेड–I	–	100%	–	भेषजज्ञ	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्षों का अनुभव	–
	(घ) भेषजज्ञ	100%	–	1. भेषजी में डिप्लोमा, और 2. राजस्थान भेषजी परिषद् में भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत।	–	–	बी.फार्मा या एम.फार्मा वाले अभ्यर्थी भी पात्र हैं।

"

(ii) क्रम संख्यांक 4 के विद्यमान भाग (ग) को भाग (ङ) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

5/5/22

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

23/2022